निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 आषाढ़ 1938 (श0)

संख्या 27 पटना, बुधवार, ——————

6 जुलाई 2016 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-7
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	---
पूरक	---
पूरक-क	8-17

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

गृह विभाग
(कारा)

अधिसूचनाएं

24 जून 2016

सं० कारा/स्था0 (चि0)01–03/2016–3814—स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 326 (2)/स्वा0 दिनांक 30.06.2016 के द्वारा कुल 60 चिकित्सकों की सेवा विभाग को प्राप्त हुई जिसके विरूद्ध शेष 06 सामान्य चिकित्सकों ने योगदान कर विभाग द्वारा निर्धारित तिथि को अपने चिकित्सा संबंधी प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया है।

उपरोक्त के आलोक में निम्नांकित 06 सामान्य चिकित्सकों को उनके नाम के सामने स्तम्भ–5 में अंकित कारा में पदस्थापित किया जाता है :–

क्र0	चिकित्सक का नाम	गृह जिला	स्थायी पता	पदस्थापन कारा का नाम
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	डॉ0 नन्दकिशोर	दरभंगा	पिता–रामलखन यादव मो0–भीगो,पो0–ललाबाग, थाना–लहेरियासराय, जिला–दरभंगा	मंडल कारा, भभुआ
2.	डॉ0 अशोक कुमार	मुंगेर	ग्राम–रतनपुर, पो0–रतनपुर, ब्लॉक–बरियारपुर, जिला–मुंगेर।	मंडल कारा, कटिहार
3.	डॉ0 संजीत कुमार मेहता	मधुबनी	ग्राम+पो0–बथनाहा, थाना–फुलपराश, जिला–मधुबनी	मंडलकारा, खगड़िया
4.	डॉ0 राजेश कुमार	नालन्दा	ग्राम–गोनावां, थाना–हरनौत, जिला–नालन्दा।	मंडल कारा, शिवहर
5.	डॉ0 अमरजीत कुमार	वैशाली	पिता–भगवान राय, ग्राम–गंगाजल, पो0–विशुनपुर सैद, थाना–राजापाकर, जिला–वैशाली, पिन– 844115	उपकारा, बेनीपुर
6.	डॉ0 उमा शंकर	वैशाली	हरि नंदन प्रसाद सिंह, ग्राम–मांझिया,पो0– बकसामा, थाना–गोरौल, जिला–वैशाली।	उपकारा, बिक्रमगंज

2. सभी चिकित्सक अपने पदस्थापन कारा में अपने चिकित्सा संबंधी सभी प्रमाण–पत्रों की छायाप्रति तथा असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सिविल सर्जन) के स्तर से निर्गत स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण–पत्र तथा दहेज नहीं लेने से संबंधित शपथ–पत्र के साथ योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

3. सभी संबंधित चिकित्सकों को निदेश है कि वे पदस्थापन कारा में एक सप्ताह के अंदर अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)।

---

28 जून 2016

सं० कारा/स्था0(अधी0)-01-15/2015-3862—बिहार काराओं में कार्यरत निम्नांकित उपाधीक्षक को अपने ही वेतनमान में उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-5 में अंकित पद पर पदस्थापित किया जाता है:-

क्र0	उपाधीक्षक का नाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	श्री सुभाष प्रसाद सिंह	भोजपुर	उपाधीक्षक, उपकारा, दानापुर	प्रभारी अधीक्षक, मंडल कारा, छपरा (अपने ही वेतनमान में)
2	श्री भोलानाथ सिंह	छपरा	उपाधीक्षक, मंडल कारा, बेगुसराय	प्रभारी अधीक्षक, मंडल कारा, औरंगाबाद (अपने ही वेतनमान में)

2. सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि उक्त आदेश के आलोक में बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये स्थानीय व्यवस्था के अंतर्गत प्रभार सौंपते हुए विरमित होकर नव पदस्थापन स्थल पर अविलम्ब योगदान करना सुनिश्चित करें।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र.)।

---

28 जून 2016

सं० कारा/स्था0(अधी0)-01-15/2015-3863—बिहार कारा सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-5 में अंकित पद पर पदस्थापित किया जाता है:-

क्र0	अधीक्षक का नाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	श्री मनोज कुमार चौधरी	भागलपुर	अधीक्षक, उपकारा, बगहा	अधीक्षक, उपकारा, वीरपुर
2	श्री रवीन्द्र कुमार चौधरी	बांका	अवकाश रक्षित पद के विरूद्ध मुख्यालय में पदस्थापित।	अधीक्षक, विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर
3	श्री सत्येन्द्र कुमार	पूर्वी चम्पारण	अधीक्षक, मंडल कारा, छपरा	अधीक्षक, शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर

2. सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि उक्त आदेश के आलोक में बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये स्थानीय व्यवस्था के अंतर्गत प्रभार सौंपते हुए विरमित होकर नव पदस्थापन स्थल पर अविलम्ब योगदान करना सुनिश्चित करें।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र.)।

---

17 जून 2016

सं० कारा/स्था0(चि0)-01-06/2016-3664—दिनांक 16.05.2016 को महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा राज्य की विभिन्न काराओं में Walk-in-interview के माध्यम से संविदा के आधार पर 09 महिला चिकित्सकों को नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया। सभी महिला चिकित्सकों के प्रमाण–पत्रों की जांच कर ली गयी।

उपरोक्त के आलोक में सभी 09 महिला चिकित्सकों को उनके नाम के समक्ष अंकित स्तम्भ–7 की कारा में रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है:–

क्र0	चिकित्सक का नाम	गृह जिला	सामान्य / विशेषज्ञ	स्थायी पता	आरक्षण कोटि	पदस्थापन कारा का नाम
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	डा0 अर्चना आनन्द	मधेपुरा	सामान्य	जनेश्वर प्रसाद यादव ग्राम–भोलाही पो.–रतनपट्टी, थाना–मुरलीगंज, जिला–मधेपुरा	पिछड़ा वर्ग	मंडल कारा, किशनगंज
2	डा0 निलमणी कुमारी	पू0 चम्पारण	सामान्य	कथलवरी मेन रोड दरभंगा	सामान्य	मंडल कारा, दरभंगा
3	डा0 अनुपमा कुमारी	नालन्दा	सामान्य	स्व. महेश्वर प्रसाद ग्राम–दातु विगहा, पो0–ओपे, थाना–एकंगर सराय जिला–नालन्दा 801301	पिछड़ा वर्ग	मंडल कारा, बिहारशरीफ
4	डा0 सुषमा आलोक	मुजफ्फरपुर	सामान्य	डा0 मनीष कुमार आलोक, श्री सिद्दी विनायक विला, मेन रोड, सरस्वती नगर बैरिया, मुजफ्फरपुर, बिहार–842003	सामान्य	केन्द्रीय कारा, मोतिहारी

क्र0	चिकित्सक का नाम	गृह जिला	सामान्य / विशेषज्ञ	स्थायी पता	आरक्षण कोटि	पदस्थापन कारा का नाम
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
5	डा0 शुभ्रा विश्वास	अररिया	सामान्य	शुकदेव विश्वास, ग्राम–बसंतपुर, पो.+थाना+ जिला– अररिया	सामान्य	मंडल कारा, अररिया
6	डा0 प्रियंका सिन्हा	पटना	सामान्य	नीलमणि मेहता, आजाद नगर, रोड नं0–02, पो0–लोहियानगर, थाना–कंकड़बाग, पटना	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	शहीद जुब्बा सहनी केन्द्रीय कारा, भागलपुर
7	डा0 प्रियंका कुमारी	नालन्दा	सामान्य	रामानन्द प्रसाद, ग्राम–प्रेमन विगहा, पो.–तीना, थाना–नगरनौसा, जिला–नालन्दा	पिछड़ा वर्ग	मंडल कारा, हाजीपुर
8	डा0 मुसरत अख्तर	बेगुसराय	सामान्य	हक हाउस पोखरिया, बेगुसराय	सामान्य	विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर
9	डा0 राजश्री भारती	जहानाबाद	सामान्य	सुखेन्द्र रविदास, ग्राम–भेलू विगहा, पो.–वैना, थाना–काको, जिला–जहानाबाद	अनुसूचित जाति	मंडल कारा, आरा

1. संविदा के आधार पर नियुक्ति इस शर्त पर की जाती है कि कोई भी चिकित्सक नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे।

2. सभी चिकित्सक अपने पदस्थापन कारा में अपने चिकित्सा संबंधी सभी प्रमाण–पत्रों की छायाप्रति तथा असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सिविल सर्जन) के स्तर से निर्गत स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण–पत्र के साथ योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

3. सभी संबंधित चिकित्सकों को निदेश है कि वे पदस्थापन कारा में एक सप्ताह के अंदर अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)।

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचनाएं
28 जून 2016

सं० 1/पी1–02/2013 खंड–I गृ.आ.–**5033––**श्री उपेन्द्र कुमार सिन्हा, भा0पु0से0 (1999), पुलिस उप–महानिरीक्षक, पूर्णियॉ क्षेत्र, पूर्णियॉ अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक पुलिस उप–महानिरीक्षक, कोशी क्षेत्र, सहरसा के भी प्रभार में रहेंगे ।

सं० 1/पी1–02/2013 खंड–I गृ.आ.– **5034––**श्री चन्द्रिका प्रसाद, भा0पु0से0 (2002), पुलिस उप–महानिरीक्षक, कोशी क्षेत्र, सहरसा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उप–महानिरीक्षक, सैन्य पुलिस, उत्तरी मंडल, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव।

---

28 जून 2016

सं० 1/एल1–10–07/2012 गृ0आ0–**5032––**सुश्री धुरत सायली सावलाराम, भा0पु0से0 (2010), नगर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी), पटना को एच0टी0सी0 उपभोग हेतु अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 01.07.2016 से 25.07.2016 तक कुल 25 (पच्चीस) दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. सुश्री धुरत सायली सावलाराम, भा0पु0से0 (2010),के अवकाश अवधि में नगर पुलिस अधीक्षक मध्य, पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त नगर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी), पटना के प्रभार में भी रहेंगे ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव।

मत्स्य निदेशालय, बिहार

आदेश

27 जून 2016

सं० म०/योजना–04/2016–848––मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना अन्तर्गत समय–समय पर सामग्रियों के क्रय हेतु प्राप्त निविदाओं पर निर्णय लेने हेतु क्रय समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है:–

(i)	निदेशक मत्स्य–	अध्यक्ष
(ii)	आंतरिक वित्तीय सलाहकार–	सदस्य
(iii)	विभागीय संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव– (प्रधान सचिव/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा नामित)	सदस्य
(iv)	संयुक्त मत्स्य निदेशक, मुख्यालय–	सदस्य
(v)	संयुक्त मत्स्य निदेशक, अनुसंधान–	सदस्य
(vi)	संयुक्त मत्स्य निदेशक, रा0प0ई0–	सदस्य
(vii)	उद्योग विभाग के प्रतिनिधि–	सदस्य
(viii)	उप मत्स्य निदेशक, पटना परिक्षेत्र–	सदस्य
(ix)	सहायक मत्स्य निदेशक, योजना–	सदस्य

2. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।
3. इस संबंध में पूर्व में निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित समझा जाय।
4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, निदेशक मत्स्य।

सं० 4/विविध–5–101/2009 (खंड)–8754/सा0प्र0,
सामान्य प्रशासन विभाग

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना दिनांक 17 जून 2016

विषयः– सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में अत्यधिक कार्य बोझ के मद्देनजर प्रशाखाओं के पुनर्गठन एवं सचिवालय सेवा के स्थायी रूप से राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों का सृजन के संबंध में।

सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनाधीन कार्यरत आयोगों से संबंधित कार्यो यथा एकीकृत दृष्टिकोण अपनाकर प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन में तेजी लाने, नियुक्ति हेतु अधियाचना प्राप्ति करने, नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित करने के पूर्व चेकलिस्ट बनाने, चेकलिस्ट के आधार पर अधियाचना एवं आरक्षण रोस्टर अनुमोदन की जांच करने,लोकशिकायत निवारण अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु पदाधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण, कार्य स्थल हेतु आधार भूत सुविधा एवं अन्य आवश्यक तैयारी पूरी करने आदि महत्वपूर्ण कार्यो के मद्देनजर वर्त्तमान् में कार्यरत 22 प्रशाखाओं एवं विभागीय जांच आयुक्त के लिए एक प्रशाखा कुल 23 प्रशाखा के कार्य की अधिकता को दृष्टि पथ रखते हुए उनके त्वरित निष्पादनार्थ वर्त्तमान् में कार्यरत 23 प्रशाखा के स्थान पर कुल 24 यानि कुल 01 (एक) अतिरिक्त प्रशाखा के पुनर्गठन किये जाने की स्वीकृति तथातद्नुरूप बिहार सचिवालय सेवा के निम्नलिखित राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों का स्तंभ– 4 में अंकित संख्या, स्तंभ– 5 में अंकित बैण्ड वेतन तथा स्तंभ– 6 में अंकित ग्रेड पे, गैर योजना मद में स्थायी रूप से पद सृजित किये जाने की स्वीकृति प्रशासी पद वर्ग समिति की बैठक दिनांक 28.04.2016 के मद संख्या– 4 द्वारा दी गयी। मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के आलोक में बिहार सचिवालय सेवा के निम्नलिखित राजपत्रित/अराजपत्रित पदों का गैर योजना मद में स्थायी रूप से सृजन किया जाता है:–

क्रं0	पदनाम	सेवा संवर्ग	पदों की संख्या	बैण्ड वेतन	ग्रेड वेतन
1	2	3	4	5	6
1.	प्रशाखा पदाधिकारी	बि0स0से0	01	9300–34800	4800
2.	सहायक	बि0स0से0	04	9300–34800	4600
3.	उच्चवर्गीय लिपिक	बि0स0लि0से0	01	5200–20200	2400
4.	निम्नवर्गीय लिपिक	बि0स0लि0से0	01	5200–20200	1900
5.	कार्यालय परिचारी	–	02	5200–20200	1800

2. उक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप अनुमानित वार्षिक व्यय **34,45,188/–(चौंतीस लाख पैंतालीस हजार एक सौ अठासी रू0)** मात्र है।

3. उक्त राशि का व्यय बजट शीर्ष ''2052–सचिवालय सामान्य सेवाएं–090–सचिवालय–0004–सामान्य प्रशासन विभाग के लिए विपत्र कोड संख्या–N 2052000900004 से विकलनीय होगा।

4. उक्त राशि की निकासी सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
केशव कुमार सिंह, संयुक्त सचिव।

निर्वाचन विभाग

अधिसूचनाएं

27 जून 2016

सं0 ई2–2–17/2015 –21––वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या 8685 दिनांक 25.06.2003 एवं वित्त विभाग का पत्रांक–3ए–2–वे0पु0–18/2009 (अंश)–504 दिनांक 16.01.2014 के आलोक में बिहार निर्वाचन सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली, 2003 तथा बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) (संशोधन नियमावली, 2006) के प्रावधानों के तहत वित्त विभाग के पत्रांक 504 दिनांक 16.01.2014 के आलोक में उनके नाम के सामने स्तंभ– 5 में अंकित तिथि से वेतनमान `10000–325–15200/– में प्रथम वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है–

क्रं0 सं0	पदाधिकारी का नाम/पदनाम एवं वरीयता क्रमांक	अवर निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति की तिथि	सेवा संपुष्टि की तिथि	प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की देय तिथि
1	2	3	4	5
1	श्री संजय कुमार मिश्रा/ उप निर्वाचन पदाधिकारी, 18/2013	05.01.1996	02.09.2002	05.01.2008
2	श्री अशोक प्रियदर्शी/ उप निर्वाचन पदाधिकारी, 19/2013	05.01.1996	05.01.1998	05.01.2008

वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप पदाधिकारियों का वेतन नियतिकरण सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली के नियम 8(1) के अनुसार किया जायेगा।

इस वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति के पश्चात् भविष्य में यदि किसी प्रकार की विसंगति पायी जाती है अथवा गणना या टंकण की भूल के कारण गलत भुगतान हो जाता है या अंकेक्षण द्वारा आपत्ति की जाती है तो अधिक भुगतान की गई राशि का समायोजन संबंधित पदाधिकारी को भविष्य में भुगतान किये जाने वाले वेतन विपत्र से या अन्य देय राशि से एक मुश्त (और यह संभव न होने पर किश्तों में) कर लिया जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सोहन कुमार ठाकुर,संयुक्त सचिव–सह–संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।

27 जून 2016

सं0 ई2–208/08 (खण्ड–II)– 22––बिहार निर्वाचन सेवा के अवर निर्वाचन पदाधिकारी के पद से उप निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति हेतु सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक दिनांक 26.05.2016 की कार्यवाही द्वारा की गई अनुशंसा के क्रम में एवं मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 16.06.2016 में दी गई स्वीकृति के आलोक में निम्नांकित अवर निर्वाचन पदाधिकारी (वेतनमान रू0 9300 – 34800/– ग्रेड पे `4800/–) को उप निर्वाचन पदाधिकारी, (वेतनमान पी0बी0– 3रू0 15600–39100/–ग्रेड पे रू0 6600/–) में अधिसूचना निर्गत की तिथि से औपबंधिक प्रोन्नति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 4800 दिनांक 01.04.2016 के आलोक में इस शर्त्त के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त औपबंधिक प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस0एल0पी0 (सी0) सं0– 29770/2015, बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावी होगा।

क्र0 सं0	नाम एवं गृह जिला	वरीयता क्रमांक	कोटि	वर्तमान पदस्थापन
1	2	3	4	5
1.	श्री रौशन अली, रोहतास	27/2013	अनारक्षित	अवर निर्वाचन पदाधिकारी, टेकारी, गया।
2.	श्री रत्नांबर निलय, भागलपुर	28/2013	अनारक्षित	अवर निर्वाचन पदाधिकारी, मुख्यालय, पटना।
3.	श्रीमती श्वेता कुमारी, राँची	29/2013	अनारक्षित	अवर निर्वाचन पदाधिकारी, पूर्णियाँ।
4.	श्रीमती प्रियंका सिन्हा, पटना	30/2013	अनारक्षित	अवर निर्वाचन पदाधिकारी, मुख्यालय, पटना

क्र0 सं०	नाम एवं गृह जिला	वरीयता क्रमांक	कोटि	वर्तमान पदस्थापन
1	2	3	4	5
5.	श्री अवधेश कुमार, गया	31/2013	अनारक्षित	अवर निर्वाचन पदाधिकारी, भागलपुर।
6.	श्री अलेन अरविन्द डीन, राँची	32/2013	अनारक्षित	अवर निर्वाचन पदाधिकारी, किशनगंज सदर।
7.	श्रीमती गुलाब लकड़ा, राँची	33/2013	अनारक्षित	अवर निर्वाचन पदाधिकारी, लखीसराय।
8.	श्री अंगद प्रसाद लोहरा, राँची	34/2013	अनारक्षित	अवर निर्वाचन पदाधिकारी, अरवल।
9.	श्री मथुरा बड़ाईक, गुमला	35/2013	अनारक्षित	अवर निर्वाचन पदाधिकारी, पटना सिंटी।
10.	श्री राम बाबू दास, देवघर	37/2013	अनारक्षित	अवर निर्वाचन पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर।
11.	श्री द्वारिका रविदास, चतरा	39/2013	अनारक्षित	अवर निर्वाचन पदाधिकारी, पटना सदर।

उक्त नव प्रोन्नत उप निर्वाचन पदाधिकारी को प्रोन्नत पद का आर्थिक लाभ उप निर्वाचन पदाधिकारी के पद के प्रभार ग्रहण की तिथि से देय होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सोहन कुमार ठाकुर,संयुक्त सचिव–सह–संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।

निगरानी विभाग
सूचना भवन, पटना

अधिसूचना

29 जून 2016

सं० नि0 वि0 स्था0–139/2013–2411—राज्य सरकार आम जनता की सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अन्तर्गत भ्रष्टाचार के विरूद्ध **''जीरो टॉलरेन्स''** नीति अपनायी गयी है। इस उद्धेश्य की पूर्त्ति की दिशा में सरकार द्वारा निगरानी विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में पुलिस उपाधीक्षकों के रिक्त 26 (छब्बीस) पदों के विरूद्ध सेवा निवृत्त पुलिस उपाधीक्षक को अनुबंध के आधार पर नियोजन करने का निर्णय लिया गया है।

2. राज्य सरकार द्वारा प्रधान सचिव, निगरानी विभाग की अध्यक्षता में एक चयन समिति का गठन किया जाता है, जो निम्नवत है :–

1. प्रधान सचिव निगरानी विभाग, बिहार, पटना। अध्यक्ष
2. महानिदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना। सदस्य
3. पुलिस महानिरीक्षक, विशेष निगरानी ईकाई, बिहार, पटना। सदस्य
4. अपर सचिव/संयुक्त सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना। सदस्य
5. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निगरानी विभाग के लिए मनोनित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के एक पदाधिकारी सदस्य

3. संविदा पर नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–10000 दिनांक 10.07.2015 एवं उसी क्रम में विभागीय परिपत्र संख्या–3815 दिनांक 11.03.2016 को इस हद तक क्षान्त किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उमेश चन्द्र विश्वास, अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 16—571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं० 2/सी0– 10108/2009 –सा0प्र0– **17099**
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
11 दिसम्बर 2015

श्री अजय कुमार ठाकुर (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 912/08, 684/11 तत्कालीन अंचलाधिकारी, फारबिसगंज, अररिया सम्प्रति वरीय उप समाहर्त्ता, पूर्णियाँ के विरूद्ध आयुक्त, पूर्णियां प्रमंडल, पूर्णियाँ के पत्रांक 97 दिनांक 13.01.2010 के द्वारा वर्ष 2008–09 में अररिया जिला अन्तर्गत फारबिसगंज मवेशी हाट की बन्दोबस्ती किये जाने, बिना सुरक्षित जमा निर्धारण के सैरात की बन्दोबस्ती करने, चुनाव आयोग द्वारा आदर्श चुनाव संहिता लागू होने के बाद सैरात बन्दोबस्ती करने, बिना सक्षम पदाधिकारी के स्वीकृति के परवाना निर्गत करने के प्रतिवेदित आरोपों के लिए प्राप्त आरोप–पत्र प्रपत्र 'क' के आधार पर विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2463 दिनांक 16.03.2010 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु आयुक्त, पूर्णियां प्रमंडल, पूर्णियां को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. आयुक्त–सह–संचालन पदाधिकारी, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ के पत्रांक 1015 दिनांक 29.04.2011 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जाँच प्रतिवेदन में आरोप संख्या– 02 एवं 04 को प्रमाणित एवं आरोप संख्या– 01, 03 एवं 05 को अप्रमाणित प्रतिवेदित करते हुए विश्लेषणात्मक निष्कर्ष में अंकित किया गया है कि ***''प्रश्नगत सैरात की बन्दोबस्ती, समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता की देख–रेख मे की गयी है। सैरात बन्दोबस्ती में हुई अनियमितता के लिए सभी समान रूप से दोषी हैं, सिर्फ एक कनीय पदाधिकारी पर आरोप लगाना उचित नहीं है''***।

3. उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री ठाकुर से विभागीय पत्रांक 7575 दिनांक 04.07.2011 एवं स्मार पत्र संख्या 17358 दिनांक 11.11.2013 द्वारा अभ्यावेदन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में अभ्यावेदन दिनांक 19.08.2014 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में श्री ठाकुर का कहना है कि राजस्व विभागीय परिपत्र संख्या 668 दिनांक 01.08.2002 में यह स्पष्ट किया गया है कि सुरक्षित जमा राशि का निर्धारण प्रत्येक तीन वर्ष पर किया जाना है। प्रस्तुत मामले में कृषि उत्पादन बाजार समिति द्वारा सुरक्षित जमा में वृद्धि (4,00,000/– से 4,11,000/–) एक वर्ष पूर्व ही, वित्तीय वर्ष 2008–09 में किया गया था। अतएव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के उपर्युक्त परिपत्र के आलोक में बिना तीन वर्ष की अवधि पूरी हुए उक्त सैरात के सुरक्षित जमा में पुनः वृद्धि करना नियमानुकूल नहीं होता। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने मंतव्य में भी यह स्वीकार किया गया है कि समाहर्त्ता अथवा जिला स्तर के विभागीय सक्षम पदाधिकारी का भी यह दायित्व बनता था कि कथित मामले में अपने स्तर से अपेक्षित दिशा–निर्देश जारी करते। साथ ही उनका यह भी कहना है कि उन्हें सैरात बंदोबस्तदार को औपबंधिक परवाना निर्गत करने हेतु सामान्य रूप से सभी पदाधिकारी के साथ दोषी पाया गया, जबकि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत संकल्प ज्ञापांक 2461 दिनांक 12.02.2013 में मो0 अनामुलहक सिद्दिकी (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 680/08, तत्कालीन अंचल अधिकारी, सिलाव, नालंदा को औपबंधिक परवाना निर्गत नहीं करने के लिए वृहत दण्ड अधिरोपित किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा औपबंधिक परवाना निर्गत करना नियम विरूद्ध नहीं था, बल्कि यह राज्य हित में राजस्व की क्षति न हो इसके लिए निर्गत किया गया था। उक्त आधार पर श्री ठाकुर के द्वारा उन्हें आरोप से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

4. आरोप–पत्र, संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन एवं श्री ठाकुर के अभ्यावेदन की समीक्षा के उपरांत यह पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी ने डाक की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया था बल्कि बंदोवस्ती हो जाने के बाद उन्होंने मात्र

परवाना निर्गत किया था। बाजार समिति से जब सभी हाट बाजार का हस्तांतरण राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को हुआ तब समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता द्वारा बंदोवस्ती की प्रक्रिया आरंभ करायी गयी। उक्त अवधि में निर्वाचन के क्रम में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की अनुमति के उपरांत समाहर्त्ता के द्वारा सैरात की बंदोवस्ती हेतु सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग के माध्यम से विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी । बारबार अनुरोध के बाद भी बाजार समिति ने समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता को पूर्व की बंदोवस्ती से संबंधित अभिलेख को हस्तगत नहीं कराया। वित्तीय वर्ष 2009–10 प्रारंभ हो गया था। अतः समाहर्त्ता ने बंदोवस्ती के लिए डाक के कार्यक्रम की सूचना समाचार–पत्र में प्रकाशित करा दी। दिनांक 10.09.2009 को डाक की कार्रवाई समाहर्त्ता की देख–रेख में अपर समाहर्त्ता ने आरंभ की। समाहर्त्ता ने विधिवत पूरी डाक की प्रक्रिया को अपर समाहर्त्ता की देख–रेख में सम्पन्न कराया था तथा समाहर्त्ता की ही देख–रेख में अपर समाहर्त्ता ने बंदोवस्ती की प्रक्रिया भी पूरी की। प्रासंगिक मामले में तत्कालीन अंचल अधिकारी श्री अजय कुमार ठाकुर की भूमिका औपबंधिक परवाना निर्गत करने मात्र से है। समाहर्त्ता जब बंदोवस्ती की स्वीकृत देते है तो अंचल अधिकारी बंदोवस्तीदार को स्वभाविक रूप से परवाना निर्गत करेंगे। बाजार समिति विघटन के पश्चात् बाजार समिति ने हाट बाजार की सूची समाहर्त्ता को दी, किन्तु विगत 3 वर्षों के अभिलेख नहीं दिये। वैसी स्थिति में सुरक्षित जमा निर्धारण में कठिनाई उत्पन्न होना स्वाभाविक है। पूरे घटनाक्रम के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि आदर्श आचार संहिता लगने के बावजूद समाहर्त्ता ने अनुमति प्राप्त कर अपने प्रयास से फारबिसंगज मवेशी हाट की बंदोबस्ती की एवं उक्त आधार पर अंचल अधिकारी ने परवाना निर्गत कर के अनुचित कार्य नहीं किया है।

5. वर्णित तथ्यों के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री अजय कुमार ठाकुर (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 684/11, तत्कालीन अंचलाधिकारी, फारबिगंज, अररिया सम्प्रति वरीय उप समाहर्त्ता, पूर्णियाँ के स्पष्टीकरण एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्ष को स्वीकार करते हुए प्रासंगिक आरोप को संचिकास्त करने का निर्णय लिया गया।

6. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अजय कुमार ठाकुर (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 684/11, तत्कालीन अंचलाधिकारी, फारबिगंज, अररिया सम्प्रति वरीय उप समाहर्त्ता, पूर्णियाँ के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप को सम्यक् रूप से विचारोपरांत संचिकास्त किया जाता है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को सूचानर्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
केशव कुमार सिंह, अपर सचिव।

सं० 2/सी0–3–3094/2003 –सा0प्र0–**17342**

संकल्प

17 दिसम्बर 2014

श्री अशोक प्रियदर्शी, (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 82/11, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, साहेबगंज, झारखण्ड सम्प्रति उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना के विरूद्ध सी0बी0आई0, राँची द्वारा घोटाला की जाँच एवं अनुशंधान के पश्चात् सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत अनियमितता पाये जाने के आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–8654 दिनांक 22.08.2007 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। विभागीय जाँच आयुक्त–सह–संचालन पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–121 दिनांक 31.01.2012 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री प्रियदर्शी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

आरोप पत्र तथा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री प्रियदर्शी के द्वारा योजनाओं के पर्यवेक्षण के दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया एवं सुनिश्चित रोजगार योजना जैसे रोजगार सृजत किये जाने वाले कार्यक्रम में मास्टर रॉल की जाँच नहीं की गयी यह प्रथम दृष्टया प्रमाणित होता है। साथ ही प्राक्कलन में यदि 5698.49 CFT बोल्डर का प्रावधान किया गया था एवं उसके स्थान पर 750 CFT बोल्डर का उपयोग हुआ, फिर भी योजना के लिए अंतिम निकासी कर दी गयी। प्राक्कलन में किये गये प्रावधान के अनुरूप बोल्डर का उपयोग नहीं होने एवं प्राक्कलित राशि का पूर्ण निकासी हो जाना, अपने आप में योजना के कार्यान्वयन में गंभीर अनियमितता को प्रमाणित करता है। अतः सम्यक् विचारोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष से उक्त आधार पर असहमत होते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18 (3) के संगत प्रावधानों के तहत् विभागीय पत्रांक 19354 दिनांक 20.12.2013 द्वारा असहमति के बिन्दुओं सहित जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए श्री प्रियदर्शी से अभ्यावेदन की मांग की गयी। किन्तु श्री प्रियदर्शी का अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ।

आरोप पत्र, जाँच प्रतिवेदन एवं उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों की समीक्षा के उपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार श्री प्रियदर्शी के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1043 दिनांक 23.01.2014 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 (समय–समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् **''असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक''** का दंड संसूचित किया गया।

उपर्युक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री अशोक प्रियदर्शी (बि0प्र0से0) के द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी दिनांक 03.04.2014 समर्पित किया गया। उक्त पुनर्विलोकन अर्जी में श्री प्रियदर्शी द्वारा यह कहा गया है कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियमों को नजरअंदाज कर उनके बचाव बयान एवं उपलब्ध साक्ष्यों पर सम्यक्

विचार किये बिना एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंतव्य तथा जाँच पदाधिकारी के मंतव्य को नजरअंदाज कर कारण बताये बिना उनसे असहमति व्यक्त कर असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक का दंड दिया गया है। इनके द्वारा पूरे मामले पर विचार कर उक्त दंड को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

श्री अशोक प्रियदर्शी के द्वारा उपर्युक्त पुनर्विलोकन अर्जी में दंड को निरस्त करने हेतु न तो किसी नये तथ्य का उल्लेख किया गया है और न ही दिये गये दंड को निरस्त किये जाने हेतु कोई ठोस आधार दिया गया है। पुनर्विलोकन अर्जी की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि बिहार प्रशासनिक सेवा के सिविल लिस्ट 2011 के आधार पर श्री प्रियदर्शी के सेवानिवृत्ति की तिथि 31.01.2016 है। फलतः सेवानिवृत्ति तक श्री प्रियदर्शी की मात्र दो वेतन वृद्धियाँ ही असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध हो सकेगी लेकिन इस स्थिति में भी दंड के प्रभाव में ही सेवानिवृत्ति होने के कारण वेतन वृद्धि पर रोक का वास्तविक प्रभाव संचयात्मक हो जाएगा जो उनके पेंशन एवं सेवान्त लाभ को भी प्रभावित करेगा। स्पष्टतः श्री प्रियदर्शी को दिये गये लघु दंड का भी वास्तविक प्रभाव वृहत् दंड के रूप में पड़ेगा।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर श्री प्रियदर्शी के पुनर्विलोकन अर्जी पर सम्यक् विचारोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1043 दिनांक 23.01.2014 द्वारा संसूचित **''असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक''** के दंड को **''आरोप वर्ष के लिए निन्दन'', ''असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक''** एवं **''सेवा निवृत्ति की तिथि अर्थात 31.01.2016 तक प्रोन्नति पर रोक''** के दंड से प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया गया।

अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अशोक प्रियदर्शी, (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 82/11, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, साहेबगंज, झारखण्ड को विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1043 दिनांक 23.01.2014 द्वारा संसूचित **''असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक''** के दंड को निम्नांकित दंड से प्रतिस्थापित किया जाता है :–

(क) आरोप वर्ष के लिए निन्दन (वर्ष 1993–94)।

(ख) असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक।

(ग) सेवा निवृत्ति की तिथि अर्थात 31.01.2016 तक प्रोन्नति पर रोक।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को सूचानर्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
केशव कुमार सिंह, अपर सचिव।

सं० 2/सी0– 10–12/2008 –सा0प्र0– 7642

संकल्प

30 मई 2016

श्री देवेन्द्र कुमार सविता, (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 356/11, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, छपरा सदर सम्प्रति उप सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के पत्रांक 156/मु0 दिनांक 16.04.2008 द्वारा प्रपत्र 'क' में आरोप–पत्र उपलब्ध कराया गया, जिसमें कुल–छः आरोप प्रतिवेदित थे। प्रतिवेदित आरोप बिना किसी आरोप अथवा परिवाद–पत्र प्राप्त हुए बनियापुर अंचल में जमाबन्दी में की गयी कथित अनियमितता की जाँच कर तथ्यों से परे जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, छपरा के रूप में नगर परिषद, छपरा के दाखिल खारिज वादों के निष्पादन हेतु अभिरूचि नहीं लेने तथा बिना नाजायज राशि लिए दाखिल खारिज संबंधी मामलों का निष्पादन नहीं करने, सक्षम प्राधिकार की अनुमति के बिना मुख्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने तथा अनुपस्थित अवधि में मोबाईल का स्वीचऑफ रखने, नगर परिषद, छपरा में चयनित शिक्षकों की सूची के अनुमोदन हेतु तीन मामलों से संबंधित संचिका को 30–31 दिनों तक रखे रहने से संबंधित थे।

प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 11934 दिनांक 18.07.2013 द्वारा श्री सविता से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। कई स्मार–पत्र दिए जाने के बावजूद श्री सविता का स्पष्टीकरण अप्राप्त रहा।

सम्यक् विचारोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार संकल्प ज्ञाांक 10769 दिनांक 04.08.2014 द्वारा श्री सविता के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी, जिसमें आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

आयुक्त–सह–संचालन पदाधिकारी, सारण प्रमंडल, छपरा के पत्रांक 1003 दिनांक 09.05.2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री सविता के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप संख्या–01, 03, 04, 05 एवं 06 को प्रमाणित एवं आरोप संख्या–02 को आंशिक प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 8073 दिनांक 29.05.2015 द्वारा अभ्यावेदन की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री सविता द्वारा अपना अभ्यावेदन दिनांक 13.07.2015 समर्पित किया गया।

अपने अभ्यावेदन में श्री सविता द्वारा आरोप संख्या–01 के संबंध में कहा गया कि श्री सत्यनारायण मंडल, तत्कालीन अंचलाधिकारी, बनियापुर द्वारा श्री रामा प्रसाद पाठक, राजस्व कर्मचारी के कार्यकलापों एवं राजस्व अभिलेखों में कथित जालशाजी संबंधी प्रतिवेदन उन्हें समर्पित किया गया था, जिसके आधार पर उन्होंने जाँच की थी। जाँच के क्रम में अंचलाधिकारी या अन्य कर्मचारी द्वारा यह नहीं बताया गया कि वर्णित अवधि में श्री पाठक बनियापुर अंचल में पदस्थापित नहीं थे।

आरोप संख्या–02 के संबंध में इनका कहना है कि कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, छपरा के पद पर प्रभार अवधि में शिविर लगाकर दाखिल खारिज किया गया था। उनके द्वारा आरोप को आधारहीन बताया गया।

आरोप संख्या–03 के संबंध में श्री सविता ने कहा है कि चूँकि वे मुख्यालय में ही थे, अतः उच्चाधिकारियों से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि दिनांक 15.01.2008 को माँ की तवियत अचानक खराब होने की सूचना पर वे अपर समाहर्त्ता को पेशकार के माध्यम से अवकाश आवेदन भेजवाकर मुख्यालय छोड़ने की बात कही है।

आरोप संख्या–04 के संबंध में श्री सविता द्वारा कहा गया कि पत्रांक 151 दिनांक 04.04.2008 के अनुसार नगर परिषद, छपरा में चयनित शिक्षकों की सूची का अनुमोदन अध्यक्षा, नगर परिषद द्वारा किया जाना था। अतः उन्होंने आरोप को निराधार बताया है।

आरोप संख्या–05 के संबंध में कहा गया है कि शिक्षक नियोजन से संबंधी रोस्टर क्लीयरेंस नहीं था। अतः सूची पर हस्ताक्षर करना नियम विरूद्ध होता।

आरोप संख्या–06 के संबंध में श्री सविता का कहना है कि उनके समक्ष संचिका, दिनांक 26.02.2008 को उपस्थापित की गयी थी, जिसमें दिनांक 27.02.2008 को आदेश दिया था कि माननीय अध्यक्षा से बैठक की तिथि निर्धारित करा ली जाय। माननीय अध्यक्षा द्वारा दिनांक 05.03.2008 एवं 06.03.2008 को बैठक की तिथि निर्धारित की गयी। अतः विलम्ब के जिसके लिए वे जिम्मेवार नहीं हैं।

उन्होंने सभी आरोपों को निराधार एवं पूर्वाग्रह से प्रेरित बताया।

श्री सविता के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, जाँच प्रतिवेदन एवं समर्पित अभ्यावेदन के समीक्षोपरान्त आरोपों के संबंध में निम्न स्थिति पायी गयी :–

आरोप संख्या–01 के संबंध में पाया गया कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता होने के नाते उन्हें उक्त अंचल में पदस्थापित राजस्व कर्मियों की जानकारी रखनी चाहिए थी तथा जाँच के पूर्व अंचल कार्यालय एवं अंचल के क्षेत्रीय कर्मचारियों के पदस्थापन की विवरणी भी उन्हें देख लेना चाहिए था, जो नहीं किया गया है।

आरोप संख्या–03 के संबंध में श्री सविता द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि दिनांक 15.01.2008 को रात्रि में माँ की बीमारी की सूचना पर अपर समाहर्त्ता के पेशकार के माध्यम से आवेदन भेजवाकर पटना प्रस्थान कर गये, जिसका खंडन अपर समाहर्त्ता द्वारा किया गया है। श्री सविता द्वारा दूरभाष पर भी जिला पदाधिकारी अथवा अपर समाहर्त्ता अथवा अनुमंडलाधिकारी को अवकाश पर जाने की सूचना नहीं दी गयी। अतः श्री सविता का कथन मान्य नहीं है।

आरोप संख्या–04 के संबंध में इनका यह कहना कि नियमानुसार शिक्षक नियोजन सूची का अनुमोदन अध्यक्षा द्वारा किया जाना था, तब भी नियामों के आलोक में संचिका का उपस्थापन इनके द्वारा किया जाना चाहिए था। इनके द्वारा ऐसा साक्ष्य नहीं दिया गया है, जिससे स्पष्ट हो कि इनके द्वारा संचिका उपस्थापित की गयी थी एवं अध्यक्षा के द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया।

आरोप संख्या–05 के संबंध में श्री सविता का स्पष्टीकरण मान्य नहीं हो सकता क्योंकि यदि नगर परिषद के अन्तर्गत चयनित अभ्यार्थियों की सूची से संबंधित रोस्टर का क्लीयरेंस नहीं था तो वैसी स्थिति में उनके द्वारा आपत्ति दर्ज करते हुए विधिवत उक्त सूची को वापस किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया।

आरोप संख्या–06 के संदर्भ में श्री सविता का बयान मान्य नहीं हो सकता क्योंकि कार्यालय प्रधान होने के नाते इनका दायित्व था कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति जैसे मामले में ससमय निष्पादन हेतु संचिका को वापस लौटाना सुनिश्चित करने की जवाबदेही इनकी थी।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में श्री सविता के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए समर्पित अभ्यावेदन स्वीकारयोग्य नहीं पाते हुए इसे अस्वीकृत कर दिया गया।

सम्यक् विचारोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 (समय समय पर संशोधित) के संगत प्रावधानों के तहत श्री देवेन्द्र कुमार सविता, (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 356/11, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, छपरा सदर सम्प्रति उप सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को **''संचयी प्रभाव से दो वेतनवृद्धियों पर रोक का दंड''** दिए जाने का निर्णय लिया गया।

विभागीय पत्रांक 21 दिनांक 04.01.2016 द्वारा विनिश्चित किए गये दंड पर सहमति/परामर्श हेतु बिहार लोक सेवा आयोग से अनुरोध किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 363 दिनांक 06.05.2016 द्वारा श्री सविता के विरूद्ध विनिश्चित किए गये दंड पर सहमति व्यक्त की गयी।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री देवेन्द्र कुमार सविता, (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 356/11, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, छपरा सदर सम्प्रति उप सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को **''संचयी प्रभाव से दो वेतनवृद्धियों पर रोक का दंड''** देते हुए संसूचित किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अनिल कुमार, अपर सचिव।

सं० 2 / सी0– 1094 / 2008–सा0प्र0–8270

संकल्प

8 जून 2016

श्री दिवाकर झा (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 477 / 11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मनीगाछी, ताराडीह, दरभंगा सम्प्रति जिला परिवहन पदाधिकारी, गोपालगंज के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा प्रपत्र 'क' में गठित आरोप–पत्र ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1711 दिनांक 13.02.2008 द्वारा विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा के साथ उपलब्ध कराया गया था। आरोप–पत्र में (i) बी0पी0एल0 सर्वेक्षण सूची के क्रम को तोड़कर इंदिरा आवास योजना की राशि के भुगतान में अनियमितता बरतने, (ii) बिना अवकाश स्वीकृत कराये मुख्यालय छोड़ने, (iii) बिना प्रभार सौंपे अवकाश में प्रस्थान कर जाने एवं (iv) रोकड़ पंजी का प्रभार नहीं सौंपे जाने संबंधी आरोप प्रतिवेदित था।

ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा श्री झा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाये जाने संबंधी लिए गये निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 47 दिनांक 02.01.2009 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

विभागीय कार्यवाही में विभागीय जाँच आयुक्त–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 820 दिनांक 30.11.2010 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जाँच प्रतिवेदन में आरोप संख्या 01 जो बी0पी0एल0 सर्वेक्षण सूची के क्रम को तोड़कर इंदिरा आवास योजना की राशि के भुगतान में अनियमितता बरतने से संबंधित है एवं आरोप संख्या 03 जो बिना प्रभार सौंपे तथा बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए अचानक अवकाश में चले जाने से संबंधित है, को अप्रमाणित तथा आरोप संख्या 02 जिसमें बिना पूर्वानुमति के मुख्यालय छोड़ने एवं आरोप संख्या 04 जो रोकड़ पंजी का प्रभार दिए बिना लगातार अवकाश पर रहने से संबंधित है को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में आरोप संख्या 01 के संबंध में ग्रामीण विकास विभाग से मंतव्य की मांग की गयी। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अपने मंतव्य में कहा गया है कि विभागीय पत्रांक 11755 दिनांक 10.10.2006 में स्पष्ट निदेश है कि सूची से प्रति पंचायत 10–10 निर्धनतम परिवारों का पारिवारिक सूची से चिन्हित किया जाय तथा प्रखंड स्तर के पदाधिकारी / कर्मचारी से उनके अंकों का सत्यापन कराने पर यदि वे निर्धनतम एवं बेघर पाये जाते हैं तो उन्हें इंदिरा आवास आवंटित किया जाय। उक्त पत्र में यह कही भी छूट नहीं है कि उच्च अंक वाले परिवार एवं बी0पी0एल0 सूची से बाहर के परिवार को इंदिरा आवास का लाभ दे दिया जाय। उक्त तथ्यों के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष से असहमत होते हुए आरोप संख्या 01 को प्रमाणित बताया गया। फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा इसकी पुनर्जांच का निर्णय लेते हुए विभागीय पत्रांक 12444 दिनांक 15.11.2011 द्वारा आरोप संख्या 01 की पुनर्जांच हेतु विभागीय जाँच आयुक्त से अनुरोध किया गया।

विभागीय जाँच आयुक्त–सह–संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 392 दिनांक 31.07.2015 द्वारा समर्पित पुनर्जांच प्रतिवेदन में अभिलेखों की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए प्रशासी विभाग को ही अपने स्तर से जाँच कर निष्कर्ष पर पहुंचने का परामर्श दिया गया।

सम्यक विचारोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोप संख्या 01 के संदर्भ में असहमति के बिन्दुओं के साथ–साथ प्रमाणित पाये गये आरोप संख्या 02 एवं 04 के लिए विभागीय पत्रांक 4602 दिनांक 29.03.2016 द्वारा श्री झा से अभ्यावेदन की मांग की गयी।

श्री झा द्वारा अपने पत्रांक 567 दिनांक 01.04.2016 द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें आरोप संख्या 01 के संबंध में कहा गया है कि उनके द्वारा प्रारूप सूची से निर्धनतम व्यक्ति को चिन्हित कर उसका भौतिक सत्यापन कराया गया और निर्धनतम तथा बेघर पाये जाने पर उन्हें इंदिरा आवास का लाभ दिया गया।

आरोप संख्या 02 के संदर्भ में श्री झा का कहना है कि परिस्थितिवश अवकाश स्वीकृत नहीं करा पाया, लेकिन मुख्यालय छोड़ने की अनुमति अनुमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज से प्राप्त किया था।

आरोप संख्या 04 के संदर्भ में कहा गया है कि रोकड़ पंजी का प्रभार सौंप नहीं पाया। यह भी परिस्थितिवश हुआ।

आरोप संख्या 01 के संदर्भ में आरोपित पदाधिकारी के द्वारा बी0पी0एल0 सर्वेक्षण सूची से, ग्रामीण विकास विभाग के परिपत्र संख्या 11755 दिनांक 10.10.2006 के आलोक में निर्धनतम को चिन्हित करने के लिए जाँच करना था तथा उनके अंकों का सत्यापन करना था। परन्तु इनके द्वारा परिपत्र में दिए गये निदेश के अनुसार लाभार्थियों का चयन नहीं करने के कारण अधिक अंक प्राप्त करने वाले परिवारों / गैर बी0पी0एल0 परिवार लाभान्वित हुए। इस प्रकार श्री झा का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। आरोप संख्या 02 एवं 04 को आरोपित पदाधिकारी द्वारा परिस्थितिवश होना बताया गया है जो स्वतः प्रमाणित होता है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर श्री झा के अभ्यावेदन को स्वीकारयोग्य नहीं मानते हुए इसे अस्वीकृत कर दिया गया।

उक्तवर्णित तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 (समय समय पर संशोधित) के संगत प्रावधानों के तहत श्री झा के विरूद्ध **''असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धियों पर रोक का दंड''** अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री दिवाकर झा (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 477 / 11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मनीगाछी, ताराडीह, दरभंगा सम्प्रति जिला परिवहन पदाधिकारी, गोपालगंज पर बिहार सरकारी सेवक

(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 (समय समय पर संशोधित) के संगत प्रावधानों के तहत **''असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धियों पर रोक का दंड''** दिया एवं संसूचित किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अनिल कुमार, अपर सचिव।

सं० 08 / आरोप–01–29 / 2014सा०–7247

संकल्प

18 मई 2015

श्री सुरेश प्रसाद साह, (बि०प्र०से०) कोटि क्रमांक–323 / 11, तत्कालीन उप विकास आयुक्त, जहानाबाद सम्प्रति अपर समाहर्त्ता, औरंगाबाद के विरूद्ध इन्दिरा आवास योजना के प्रबंधन में शिथिलता, मनरेगा के कार्यन्वयन में पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण का अभाव, न्यायिक मामले एवं जन शिकायतों के निष्पादन के प्रति लापरवाही एवं संवेदनाहीनता आदि का आरोप ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–183383, दिनांक 21.04.2014 द्वारा प्रतिवेदित किया गया था।

श्री साह के विरूद्ध प्रतिवेदित उक्त आरोप, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के मंतव्य के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–7114, दिनांक 29.05.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।

सचिव, जल संसाधन विभाग–सह–अपर विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना के पत्रांक–176, दिनांक 01.04.2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया। जाँच पदाधिकारी के द्वारा जाँच प्रतिवेदन में श्री साह के विरूद्ध प्रतिवेदित सभी सातों आरोपों को अप्रमाणित पाया गया। सभी आरोप प्रशासनिक प्रकृति के है जिसमें योजनाओं का सही पर्यवेक्षण नहीं करने का आरोप है एवं जिसके चलते आरोप में कहा गया कि इन्दिरा आवास योजना एवं मनरेगा योजना के कार्यान्वयन में वांछित सफलता हासिल नहीं हो सकी। एक भी आरोप अनियमित आदेश पारित करने अथवा वित्तीय अनियमितता या सरकारी राशि का दुर्विनियोग का नहीं है। संचालन पदाधिकारी–सह–विभागीय जाँच आयुक्त ने सभी आरोपों को उपलब्ध साक्ष्यों एवं आँकड़ो के आधार पर अप्रमाणित पाया है।

अतः प्रतिवेदित आरोप एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा जाँच पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री सुरेश प्रसाद साह, (बि०प्र०से०) कोटि क्रमांक–323 / 11, तत्कालीन उप विकास आयुक्त, जहानाबाद सम्प्रति अपर समाहर्त्ता, औरंगाबाद को आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया है। तद्नुसार मामले को संचिकास्त किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
केशव कुमार सिंह, अपर सचिव।

सं० 08 / आरोप–01–73 / 2015सा०–7166

संकल्प

19 मई 2016

श्री श्यामल किशोर सिंह, (बि०प्र०से०) कोटि क्रमांक–177 / 08, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, तेघड़ा सम्प्रति सेवानिवृत्त जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक–869, दिनांक 22.08.2005 के द्वारा गैर मजरूआ जमीन की बन्दोवस्ती से संबंधित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' प्रतिवेदित किया गया। श्री सिंह के ने अपने पत्रांक सं०–819 / गो०, दिनांक 14.11.2005 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया। जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक–832, दिनांक 23.05.2012 द्वारा श्री सिंह के स्पष्टीकरण पर मंतव्य समर्पित किया गया।

श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी के मंतव्य के समीक्षोपरांत वृहद जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक–11675, दिनांक 22.08.2012 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया। श्री सिंह दिनांक 31.11.2012 को सेवानिवृत्त हो गये अतः विभागीय कार्यवाही संकल्प सं०–2234, दिनांक 07.02.2013 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली–1950 के नियम–43 (बी०) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।

विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना के पत्रांक–328 (अनु०) दिनांक 03.07.2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जाँच प्रतिवेदन की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–10504, दिनांक 21.07.2015 द्वारा आरोपित पदाधिकारी से लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। आरोपी पदाधिकारी द्वारा दिनांक 26.09.2015 के द्वारा अपना लिखित अभिकथन प्रस्तुत किया गया। जाँच पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित पाँच आरोपों में से आरोप सं०–03,04 एवं 05 को प्रमाणित पाया गया।

प्रतिवेदित आरोप, आरोपी का स्पष्टीकरण, जिला पदाधिकारी का मंतव्य एवं जाँच प्रतिवेदन की सम्यक समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत पाया गया कि कुल 09 अभिलेखों द्वारा भिन्न–भिन्न व्यक्तियों के नाम 13 कट्ठा साढ़े 15 धूर भूमि की बन्दोवस्ती का आदेश आरोपी द्वारा दिया गया। सभी आवेदक कमजोर वर्ग के भूमिहीन व्यक्ति थे। जिला पदाधिकारी ने अपने मंतव्य में भी लिखा कि त्रुटिपूर्ण गलत प्रस्ताव अंचल कार्यालय से प्राप्त हुआ जिसके आधार पर आरोपी द्वारा स्वीकृति दी गयी। दोषी कर्मियों के विरूद्ध जिला स्तर पर कार्रवाई की गयी। आरोपी के बारे में जिला पदाधिकारी ने उल्लेख किया है कि इन्हें कर्त्तव्य के प्रति सचेष्ट रहना चाहिए परन्तु इनकी भूमिका संदेहास्पद प्रतीत नहीं होती है। उल्लेखनीय है कि हल्का कर्मचारी से लेकर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता ने बन्दोवस्ती की अनुशंसा की एवं भूमि को गैर मजरूआ खास मानते हुए प्रस्ताव दिया। इसके आधार पर आरोपी द्वारा बन्दोवस्ती की स्वीकृति देना एक स्वभाविक निर्णय था। जाँच में पाया गया कि खतियान की सच्ची प्रतिलिपि गलत थी एवं बन्दोवस्ती को रद्द करने की कार्रवाई की गयी।

आरोपित पदाधिकारी का कृत्य जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के मंतव्य के आलोक में त्रुटिपूर्ण निर्णय है लेकिन उनकी भूमिका संदेहास्पद नहीं है। आरोप वर्ष–2002–03 का है एवं आरोपी पदाधिकारी वर्ष–2012 में ही सेवानिवृत्त चुके है। सेवा काल में ही विभागीय कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी थी, अतः 43 (बी०) की प्रक्रिया कालबाधित नहीं है। बिहार पेंशन नियमावली–1950 के नियम–43 (बी०) में स्पष्ट प्रावधान है कि ''यदि न्यायिक या विभागीय कार्यवाही से पता चले कि किसी सरकारी सेवक सेवाकाल में उनकी उपेक्षा या घोखे से राज्य सरकार को आर्थिक हानि पहुँचती है तो राज्य सरकार को सेवक के पेंशन से इस हानि की पूरी या आंशिक राशि की क्षति वसूल कर सकते है।'' प्रश्नगत मामले में कोई सरकारी राजस्व की क्षति नहीं हुई है।

वर्णित तथ्यों के आलोक में समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री श्यामल किशोर सिंह, (बि०प्र०से०) कोटि क्रमांक–177/08, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, तेघड़ा सम्प्रति सेवानिवृत्त को आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया है। तद्नुसार मामले को संचिकास्त किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
केशव कुमार सिंह, अपर सचिव।

सं० 08/आरोप–01–203/2014सा०–7165

संकल्प

19 मई 2016

श्री शालीग्राम साह, (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक–1021/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, काराकाट, रोहतास के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, रोहतास के पत्रांक–350/सा०, दिनांक 29.01.2009 द्वारा इन्दिरा आवास आवंटन में सरकारी मार्गदर्शिका का उल्लंघन करने आदि से संबंधित आरोप ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को प्रतिवेदित किया गया। ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1601, दिनांक 24.02.2010 द्वारा आरोप पत्र सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को भेजते हुए कार्रवाई की अनुशंसा की गई।

2. प्रतिवेदित आरोप पर श्री साह से पत्रांक–06, दिनांक 25.06.2010 द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, रोहतास से प्राप्त मंतव्य पर विचारोपरांत आरोपी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की वृहद जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक–14796, दिनांक 11.09.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक–1182/स्था०, दिनांक 31.12.2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपी श्री साह के विरूद्ध प्रतिवेदित 02 (दो) आरोपों में से आरोप सं०–01 (एक) को प्रमाणित पाया गया।

3. जाँच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी ने कहा कि अगर इन्दिरा आवास के आवंटन में नियमों का पालन किया जाता तो मार्गदर्शिक में अंकित निर्देशों का उल्लंघन नहीं होता इस तरह जाँच पदाधिकारी द्वारा आरोप को प्रमाणित पाया गया।

4.जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–793, दिनांक 15.01.2016 द्वारा श्री साह से लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन की माँग की गयी। श्री साह ने अपने पत्रांक–483, दिनांक 09.02.2016 द्वारा समर्पित अभिकथन/अभ्यावेदन में प्रमाणित आरोपों से इन्कार करते हुए अपने को निर्दोष बताया। श्री साह का आरोप सं०–01 के प्रथम उप कंडिका के संबंध में कहना है कि इन्दिरा आवास के लिए संधारित लक्ष्य में अनुसूचित जनजाति के लिए 60 प्रतिशत आरक्षण होता है वैसी स्थिति में आरक्षित वर्ग के अधिक बी०पी०एल० अंक वाले को इन्दिरा आवास का लाभ मिल जाता है और अनाराक्षित वर्ग के कम अंक प्राप्त करने वाले को भी बाद में इन्दिरा आवास का लाभ दिया जाता है। साथ ही जो लाभुक अनुपस्थित रहते है अथवा उन्हें भूमि उपलब्ध नहीं होता है तो वैसी स्थिति में कम प्राप्त अंक वाले को भी इन्दिरा आवास स्वीकृत नहीं किया जाता है।

5. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं संचालन पदाधिकारी के मंतव्य तथा श्री साह द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि इन्दिरा आवास के आवंटन में बी०पी०एल० सूची के आधार पर तैयार प्रतीक्षा सूची जो प्राप्तांक के बढ़ते हुए क्रम में बने थे, के अनुसार आरोपी पदाधिकारी ने इन्दिरा आवास का आवंटन नहीं दिया। अगर कोई लाभुक शिविर के दिन अनुपस्थित है या कोई अन्य कारण जिसे कोई इन्दिरा आवास नहीं दिया जा सकता है तो उसका स्पष्ट उल्लेख अभिलेख में करते हुए ही वे आगे के क्रम में इन्दिरा आवास का आवंटन कर सकते थे। इस तरह

इन्दिरा आवास के आवंटन में प्रतीक्षा सूची के क्रम का उल्लंघन संबंधी गम्भीर आरोप प्रमाणित है। जाँच प्रतिवेदन में भी आरोपी के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाया गया। द्वितीय कारण पृच्छा के क्रम में आरोपी पदाधिकारी द्वारा दिये गये लिखित अभिकथन को सम्यक् विचारोपरांत अस्वीकृत किया जाता है।

वर्णित तथ्यों के आलोक में समीक्षोपरांत जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा प्रमाणित आरोप के लिए श्री शालीग्राम साह, कोटि क्रमांक–1021/11 के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–14 के तहत निम्नलिखित शास्ति, अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है :–

(i) निन्दन (आरोप वर्ष 2008–09 के प्रभाव से)।

(ii) दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
केशव कुमार सिंह, अपर सचिव।

सं० 08/आरोप–01–110/2014सा०–7102

संकल्प

18 मई 2016

श्री सत्यनारायण मंडल, (बि०प्र०से०) कोटि क्रमांक–688/11, तत्कालीन कारा अधीक्षक, मंडल कारा, सहरसा सम्प्रति जिला पंचायती राज्य पदाधिकारी, किशनगंज के विरूद्ध श्री अभिमन्यु सिंह को सजा अवधि से अधिक दिनों तक कारा में संसीमित रखने के विरूद्ध बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना द्वारा दिये गये आदेश के अनुपालन में कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक–1535, दिनांक 10.03.2016 द्वारा आरोप प्रतिवेदित है, जैसा कि संलग्न आरोप–पत्र में वर्णित है।

2. विभागीय स्तर से अनुमोदित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' पर श्री मंडल से विभागीय पत्रांक–4795, दिनांक 01.04.2016 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी परन्तु उनके द्वारा निर्धारित अवधि के बाद तक भी अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया।

3. सम्यक् विचारोपरांत श्री मंडल के विरूद्ध प्रतिवेदित अनुलग्नक अनुबंध में अंतर्विष्ट आरोपों की जाँच विहित रीति से करने हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 (2) के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की जाती है तथा आयुक्त, पूर्णियां प्रमंडल, पूर्णियां को संचालन पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी, सहरसा द्वारा मनोनीत पदाधिकारी को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. जिला पदाधिकारी, सहरसा द्वारा इस विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने हेतु विषय के जानकार किसी वरीय पदाधिकारी को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त कर संचालन पदाधिकारी एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचित किया जायेगा।

5. श्री मंडल से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
केशव कुमार सिंह, अपर सचिव।

सं० 08/आरोप–01–83/2015सा०–7076

संकल्प

18 मई 2016

श्री शशि भूषण सिंह, (बि०प्र०से०) कोटि क्रमांक–692/08, तत्कालीन कार्यपालक दंडाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी, बी० कोठी, पूर्णियां के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, पूर्णियां के पत्राक–908, दिनांक 28.02.2008 एवं पत्रांक–1889, दिनांक 19.05.2008 द्वारा बी०पी०एल० सूची प्रेषण नहीं करने, इन्दिरा आवास योजना की राशि कम खर्च करने इत्यादि का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप पर प्राप्त स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी के मंतव्य पर सम्यक् रूप से विचारोपरांत वृहद जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक–6003, दिनांक 24.06.2009 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली–1950 के नियम–43 (बी०) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि श्री सिंह को सहरसा जिला में पदस्थापन के दौरान बरती गयी अनियमितता के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2265, दिनांक 25.03.2009 द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्त की शास्ति अधिरोपित की गयी थी।

विभागीय जाँच आयुक्त के पत्रांक–366, दिनांक 29.07.2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन पर आरोपी से विभागीय पत्रांक–11874, दिनांक 13.08.2015 द्वारा लिखित अभिकथन की माँग की गयी। श्री सिंह ने

अपने अभ्यावेदन दिनांक 02.09.2015 द्वारा अपना लिखित अभिकथन प्रस्तुत किया। जाँच पदाधिकारी द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध गठित सभी आरोपों को पूर्णतः प्रमाणित पाया गया।

श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी तथा पाया गया कि इनके विरूद्ध आरोप की प्रकृति पूर्णतः कार्य में लापरवाही, कर्त्तव्यहीनता एवं आदेश के अवहेलना से संबंधित है। आरोप की प्रकृति सरकारी राशि के गबन से संबंधित नहीं है। इन प्रमाणित आरोपों के लिए श्री सिंह को सेवारत रहने की स्थिति में लघु/वृहद शास्ति दी जा सकती थी। किन्तु श्री सिंह को पूर्व में ही सहरसा जिले के पदस्थापन से संबंधित आरोपों के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति दी जा चुकी है। वे आज के तिथि में बिहार सरकार के अधीन पदाधिकारी नहीं है। बिहार पेंशन नियमावली–1950 के नियम–43 (बी०) में प्रावधान है कि राज्य सरकार को पेंशन या उसके किसी अंश को रोक रखने या वापस लेने का अधिकार है चाहे स्थायी रूप से विशिष्ट अवधि के लिए यदि न्यायिक या विभागीय कार्यवाही से पता चले की किसी सरकारी सेवक के सेवा काल या पुनर्नियुक्ति की अवधि में उसकी उपेक्षा या धोखे से राज्य सरकार को हानि पहुँची है तो राज्य सरकार सरकारी सेवक के पेंशन से उस हानि की पूरी या आंशिक क्षति की राशि वसूली कर सकती है। श्री सिंह के विरूद्ध आरोप की प्रकृति ऐसी नहीं है जिससे की उनके पेंशन से कटौती की जाय।

वर्णित तथ्यों के आलोक में समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री शशि भूषण सिंह, (बि०प्र०से०) कोटि क्रमांक–692/08, तत्कालीन कार्यपालक दंडाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी, बी० कोठी, पूर्णियां (सम्प्रति अनिवार्य सेवानिवृत्त) को आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया है। तद्नुसार मामले को संचिकास्त किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
केशव कुमार सिंह, अपर सचिव।

सं० 08/आरोप–01–78/2014सा०प्र०–7074

संकल्प
18 मई 2016

श्री उदय कुमार सिंह, (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक–213/11, तत्कालीन उप विकास आयुक्त, अररिया के विरूद्ध ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–11201, दिनांक 19.09.2010 द्वारा प्रतिवेदित मनरेगा योजना से संबंधित अनियमितताओं के लिए संकल्प ज्ञापांक–822, दिनांक 21.01.2011 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी तथा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरांत संकल्प ज्ञापांक–16908, दिनांक 28.10.2013 द्वारा उन्हें निम्नलिखित दंड संसूचित किया गया था :–

(क) आरोप वर्ष के लिए निन्दन।
(ख) दो वेतन वृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।

2. विभाग द्वारा संसूचित उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं०–6431/2014 दायर किया गया। इस वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्याय निर्णय दिनांक 11.03.2016 का Operative Part निम्नवत् है :–

" In this view of the matter, quantum of punishment suggested by the Disciplinary Authority in Annexure-13 is not sustainable and is accordingly set aside. Consequently, the impugned punishment emanating form annexure-13, is too not sustainable and also set aside.

The matter would proceed afresh from the stage of issuance of second show-cause. The writ petition is allowed to the extent mentioned above from the stage of issuance of second show-cause."

अतः उक्त न्यायादेश के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–16908, दिनांक 28.10.2013 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध संसूचित शास्ति आदेश को वापस ली जाती है।

3. श्री सिंह के विरूद्ध संकल्प ज्ञापांक–822, दिनांक 21.01.2011 द्वारा पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में लिखित अभिकथन की माँग करने संबंधित कार्रवाई अलग से की जा रही है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
केशव कुमार सिंह, अपर सचिव।

सं० 08 / नि०था०–11–01 / 2016,सा०प्र०–7884

संकल्प

1 जून 2016

श्री ओम प्रकाश, बि०प्र०से० (कोटि क्रमांक–492 / 11) जिला योजना पदाधिकारी, सीतामढ़ी को निगरानी धावा दल द्वारा दिनांक 13.05.2016 को 2,00,000 (दो लाख) रूपया रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किये जाने तथा उनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड सं०–52 / 16, दिनांक 14.05.2016, धारा–7 / 13 (2)–सह–पठित धारा–13 (1) (डी) भ्र०नि०अधि०, 1988 दर्ज होने की सूचना निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरो) बिहार, पटना के ज्ञापांक–1034, दिनांक 20.05.2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी है। योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2625, दिनांक 25.05.2016 द्वारा भी इस आलोक में श्री प्रकाश के विरूद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 9 (1) (ग) एवं नियम–9 (2) क में निहित प्रावधानों के तहत श्री प्रकाश को न्यायिक हिरासत की तिथि (दिनांक 13.05.2016 के प्रभाव से) से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में श्री प्रकाश का मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर निर्धारित किया जाता है। न्यायिक हिरासत से मुक्त होने के पश्चात् ये निर्धारित मुख्यालय में अपना योगदान देगें।

3. निलंबन अवधि में इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–10 के आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अनिल कुमार, अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 16—571+100-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in